RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक २२(४)] सोमवार, जुलै १३, २०१५/आषाढ २२, शके १९३७ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३५

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक १३ जुलाई २०१५ ई. को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. XXVIII OF 2015.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1963.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक २८, सन् २०१५।

महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९६३ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०१५, १६ जून २०१५ को प्रख्यापित हुआ था ;

सन् १९६४ का महा. २०।

सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १४।

अब, और क्योंकि, उक्त अध्यादेश को विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिये, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए ।

(२) यह १६ जून २०१५ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा १३ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहाँ गया है) की धारा १३, की उप-धारा (१ख) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९६४ का महा. २०।

" (१ग) (क) राज्य सरकार, **राजपत्र** में किसी आदेश द्वारा,—

(१) चार विशेष निमंत्रित, प्रत्येक बाजार समिति पर जिसकी आय धारा ३१ की उप-धारा (१) के अधीन उद्ग्रहित और संग्रहित फीस से सद्य पूर्ववर्ती बाजार वर्ष में पाँच करोड से अधिक है ; और—

(२) दो विशेष निमंत्रित, प्रत्येक बाजार समिति पर जिसकी आय धारा ३१ की उप-धारा (१) के अधीन उद्ग्रहित और संग्रहित फीस से सद्य पूर्ववर्ती बाजार वर्ष में पाँच करोड रुपयों तक है, जो कृषि, कृषक प्रसंस्करण, कृषि विपणन, विधि, आर्थिक या वाणिज्य के क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे की नियुक्त कर सकेगी।

(ख) खंड (क) के अधीन नियुक्त विशेष निमंत्रितियों को, बाजार समिति के विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा परंतु, उसकी बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

(ग) विशेष निमंत्रितियों का पदावधि बाजार समिति के सदस्यों के पदावधि के साथ ही सह पर्यवसित होगी । "।

सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १४ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

३. (१) महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०१५, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। सन् २०१५ का महा. अध्या. १४।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन कृत किसी बात या की गई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य ।

बाजार क्षेत्रों में कृषक और कतिपय अन्य उपज के विपणन और इसलिए राज्य में स्थापित निजी बाजारों और किसान ग्राहक बाजारों समेत बाजारों के विकास और विनियमन के लिये ; ऐसे बाजार के संबंध में गठित या संबंधित प्रयोजनों के लिये कार्य कर रहीं बाजार समितियों को शक्ति प्रदान करने के लिये, महाराष्ट्र कृषि उपज के विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ (सन् १९६४ का महा. २०), अधिनियमित किया गया था।

२. उक्त अधिनियम के अधीन गठित बाजार समितियों के प्रभावी और सुचारू कार्य करने के उद्देश से, महाराष्ट्र सरकार, बाजार समितियों पर विशेष निमंत्रितियों के रुप में कृषि, कृषि प्रसंस्करण, कृषि विपणन, विधि, वित्त और वाणिज्य क्षेत्रों में से विशेषज्ञों की नियुक्ति करना इष्टकर समझती थी, ताकि बाजार समिति को, ऐसे विशेषज्ञों के ज्ञान द्वारा लाभ होगा । यह भी उपबंध करने के लिये प्रस्तावित किया गया था कि ऐसे विशेष निमंत्रितियों को समिति की चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किंतु, मत देने का अधिकार नहीं होगा । उस प्रयोजन के लिये, उक्त अधिनियम की धारा १३ में एक नयी उप-धारा (१ग) की निविष्टि करने का प्रस्तावित किया गया है ।

३. क्योंकि राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं, जिनके कारण उन्हें, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ (सन् १९६४ का महा. २०) में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, २०१५, (सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. १४) १६ जून २०१५ को प्रख्यापित किया गया था।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना हैं।

मुम्बई,
दिनांकित : ८ जुलाई २०१५।

चंद्रकांत (दादा) पाटील,
विपणन मंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ निम्न प्रस्ताव अर्न्तग्रस्त हैं, अर्थात् :—

खण्ड २.—इस खण्ड के अधीन, जो महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ की धारा १३ की उप-धारा (१ ग) की निविष्टी करने के लिये प्रस्तावित है, जिसमें प्रत्येक बाजार समिति पर, जिसकी आय धारा ३१ की उप-धारा (१) के अधीन उदग्रहित और संग्रहित फीस से सद्य पूर्ववर्ती बाजार वर्ष में पाँच करोड़ रुपयों से अधिक है, चार विशेष निमंत्रित ; और प्रत्येक बाजार समिति पर, जिसकी ऐसी आय सद्य पूर्ववर्ती बाजार वर्ष में पाँच करोड़ रुपयों तक है, दो विशेष निमंत्रित, जो कृषि, कृषक प्रसंस्करण, कृषि विपणन, विधि, आर्थिक या वाणिज्य के क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे, की नियुक्ति करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई हैं।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ उपर्युक्त प्रस्ताव सामान्य स्वरूप का है।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

विधान भवन :
मुम्बई, दिनांकित १० जुलाई २०१५।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.